न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./32/2024

1. गोवर्धन पुत्र हरजी जाति खाती निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. पुखराज पुत्र गोवर्धन जाति खाती निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशन पुत्र करमा जाति रावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. गोपाल पुत्र करमा जाति रावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. रमती पत्नी गोपाल जाति रावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–24.05.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री गजानन्द सिंह रावत
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा खेड़ी पटवार क्षेत्र खेड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 269 में दर्ज खसरा नं. 1531 रकबा 0.17, खसरा नं. 1533 रकबा 0.32, खसरा नं. 1535 रकबा 0.32, खसरा नं. 1707/2122 रकबा 0.22 और खसरा नं. 1708 रकबा 0.20 कुल किता 05 कुल रकबा 1.23 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गय अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम खेड़ी के खाता संख्या 269 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

ार किया जाकर मौजा खेड़ी पटवार क्षेत्र खेड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 269 र्ज खसरा नं. 1531 रकबा 0.17, खसरा नं. 1533 रकबा 0.32, खसरा नं. 1535 रकबा 0.32, रा नं. 1707/2122 रकबा 0.22 और खसरा नं. 1708 रकबा 0.20 कुल किता 05 कुल बा 1.23 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका मीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी ातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की ार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (केकड़ी)